

आदेश

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 321 दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को धारा 321 दं०प्र०सं० के प्रावधान के तहत अपराध से उन्मोचित किया जाता है। वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं०-4, मुरादाबाद।